"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 4 फरवरी 2005—माघ 15, शक 1926

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जनवरी 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—श्री सत्यजीत ठाकुर, भा.प्र.से. (यूपी-1985) आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़ को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मंडल, बिलासपुर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री बी. एल. ठाकुर, भा.प्र.से. (सीजी-1989) सचिव, खनिज साधन विभाग एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को अस्थायी रूप

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से आयुक्त, आदिवासी विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है. उक्त कार्य के साथ-साथ श्री ठाकुर, संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म के प्रभार में यथावत् रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 13 जनवरी 2005

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2/लीव.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 886-87/483/2004/1/2/लीव, दिनांक 7-4-2004 द्वारा श्रीमती निधि छिब्बर, तत्कालीन कलेक्टर, जांजगीर-चांपा को दिनांक 24-5-2004 से से 30-9-2004 तक (130 दिवस) का मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया गया था. इसी अनुक्रम में श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. को दिनांक 1-10-2004 से 7-12-2004 तक (68 दिवस) का और अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2005

क्रमांक ई-7-50/2004/1/2/लीव.—श्रीमती निहारिका बारिक, भा.प्र.से., अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली को दिनांक 24-1-2005 से 5-2-2005 तक (13 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 23-1-2005 एवं 6-2-2005 का शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बारिक, आगामी आदेश तक, अपर आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती बारिक को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बारिक अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहती.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2004

फा. क्र. 4339/डी-1739/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री संजय भारत, अधिवक्ता, सूरजपुर जिला सरगुजा को फास्ट ट्रेक कोर्ट, सूरजपुर

में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आये, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 20 जुलाई 2004

फा. क्र. 4343/डी-1740/21-ब/फास्ट ट्रेक कोर्ट/छ. ग./04.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री पुरुषोत्तम कुमार केशरवानी, अधिवक्ता, उत्तर बस्तर, कांकेर, को फास्ट ट्रेक कोर्ट, कांकेर में शासन की ओर से पैरवी करने के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक के लिये या फास्ट ट्रेक कोर्ट समाप्ति तक, जो अवधि पहले आयें, शासन द्वारा देय पारिश्रमिक पर अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2004

फा. क्र. 5118/3 (बी)/5/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 5, राज्य शासन, श्री आलोक कुमार पिता स्व. कमला प्रसाद सिंह को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2004

फा. क्र. 5120/3 (बी)/3/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 3, राज्य शासन, श्री शेख असरफ, पिता स्व. श्री अब्दुल करीम को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 25 अगस्त 2004

फा. क्र. 5121/3 (बी)/12/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 12, राज्य शासन, श्री पंकज कुमार सिन्हा, पिता श्री महेश्वरी प्रसाद सिन्हा को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

फा. क्र. 5211/3 (बी)/24/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 24, राज्य शासन, कु. कीर्ति दान खलखो, पिता श्री कामिल खलखो को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2004

फा. क्र. 5219/3 (बी)/28/2004/21-ब.—मेरिट क्रमांक 28, राज्य शासन, श्रीमती सुनीता टोप्पो, पत्नी श्री निर्मल टोप्पो को छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा में व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 के पद पर अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश तक उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 9000-250-10750-300-13150-350-14550 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. सी. बाजपेयी, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 नवम्बर 2004

क्रमांक/डी-2871/21-ब/04/6985.—राज्य शासन, निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को वर्ष 2005 में अर्द्धवार्षिकी आयु 60 वर्ष पूर्ण करने के फलस्वरूप तालिका में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक 4 में अंकित दिनांक से सेवानिवृत्त किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	न्यायिक अधिकारी का नाम (2)	जन्मतिथि (3)	सेवानिवृत्ति का दिनांक (4)
1.	श्री जुगलकिशोर सिंह राजपूत, रजिस्ट्रार (सतर्कता), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर.	31-03-1945	31-03-2005

रायपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2004

क्रमांक 7185/डी-2968/21-ब/छ.ग./04.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (क्रमांक 39 सन् 1987) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से राज्य सरकार, एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 20/डी-4566/21-ब/छ.ग./03, दिनांक 2-1-2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,—

1. अनुसूची में, अनुक्रमांक 9 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियां अन्त:स्थापित किया जाए :—

अनुक्रमांक (1)	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (2)	राजस्व जिले (3)
10.	कोरबा	कोरबा
11.	कबीरधाम	कबीरधाम

2. अनुसूची में, अनुक्रमांक 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि (3) तथा अनुक्रमांक 8 में कॉलम (3) की प्रविष्टि (2) का लोप किया जाए.

Raipur, the 7th December 2004

F. No. 7185/D-2968/XXI-B/C.G./04.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Legal Services Authority Act, 1987 (No. 39 of 1987) and with the concurrence of the Hon'ble Chief Justice of High Court of Chhattisgarh, the State Government, hereby, makes the following amendment in the department Notification

No. 20/D-4566/21-B/C.G./03, dated 2-1-2004, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification,—

1. In Schedule, after serial No. 9, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted,:—

SCHEDULE

S. No. (1)	District Legal Services Authority (2)	For the Revenue Districts (3)
10.	Korba	Korba
11.	Kabeerdham	Kabeerdham

2. In Schedule, in serial number 3 the entries number (3) of column (3) and serial number 8 the entries number (2) of column (3) shall be omitted.

रायपुर, दिनांक 5 जनवरी 2005

क्रमांक 129/डी/23/21-अ (स्था.)छ. ग./2005.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के पृष्ठा. क्रमांक 1/गो./2005/दो-2/101/2001, दिनांक 3-1-2005 के परिप्रेक्ष्य में श्री अशोक कुमार गोयल, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर छ. ग. को विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. रायपुर में उप-सचिव के पद पर अन्य आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. पी. शर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2004

फा. क्र. 4396/1737/21-ब/छ. ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री दीपक देशपांडे, अधिवक्ता, जशपुर, छ. ग. को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए जशपुर के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक, जशपुर, छ. ग. नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2004

फा. क्र. 4409/1735/21-ब/छ. ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री महेश चन्द्र पुरवार, अधिवक्ता, दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए दुर्ग के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाईं 2005

फा. क्र. 4411/1735/21-ब/छ. ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री विजय कुमार कसार, अधिवक्ता, दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए दुर्ग के लिए प्रथम अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2004

फा. क्र. 4413/1735/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अनिल कुमार पिल्लई, अधिवक्ता, दुर्ग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए दुर्ग के लिए द्वितीय अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2004

फा. क्र. 4415/1735/21-ब/छ.ग./2004.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र कुमार साहू, अधिवक्ता, बालौद, दुर्ग, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिनांक 31-7-2005 तक की परिवीक्षा अवधि के लिए दुर्ग के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक बालौद, दुर्ग नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र राठौर, उप-सचिव.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2005

क्रमांक 425/5522/04/19/तक.—राज्य शासन एतद्द्वारा राजनांदगांव अर्जुन्दा गुण्डरदेही मार्ग के कि.मी. 17/2 पर स्थित कुम्हालोरी पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्ण रूप से वसूल की जा चुकी है. अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ. 23-10/97/जी उन्नीस, दिनांक 29 जून 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर दिनांक 1 अप्रैल 2005 से समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. लुलु, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 25 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1510/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	जेवरतला प. ह. नं. 4	21.27	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत जेवरतला लघु नहर क्र. 1, 2 एवं 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1512/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	बरवसपुर प. ह. नं. 4	4.56	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत बरवसपुर लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 25 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1514/ले. पा./2004/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	गुण्डरदेही	सिब्दी प. ह. नं. 4	33.79	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग (छ. ग.).	खरखरा मोहदीपाट परियोजना के अंतर्गत बुढ़ेना वितरक नहर, बरबसपुर लघु नहर, सिब्दी लघु नहर क्रमांक 1, 2 एवं 3 के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन, मुख्यालय दुर्ग में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2004

पृष्ठांकन क्र. 23 अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	लालपुर	1.445	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	चांपी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 8/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	विश्वासपुर प. ह. नं. 29	0.648	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 9/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	मानिकपुर प. ह. नं. 29	2.933	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मानिकपुर तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	छुवारीपाली प. ह. नं. 29	0.448	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	केनाल निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	राजपुर प. ह. नं. 34	5.043	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 12/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	कडोला प. ह. नं. 35	0.824	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	गिरहुलपाली प. ह. नं. 37	1.995	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	जलाशय के डूब में आने से भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	धुमाभांठा प. ह. नं. 42	8.915	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	धुमाभांठा सिंचाई तालाब निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	कंवरपाली प. ह. नं. 43	0.755	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 16/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	सकरतुंगा प. ह. नं. 46	2.346	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 17/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	चिंगरीडीह प. ह. नं. 46	1.202	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	सारंगढ़	पिकरीपाली प. ह. नं. 47	1.269	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	बायीं तट नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 2 नवम्बर 2004

रा. प्र. क्र./02/अ-82/04-05—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अम्बिकापुर	लवईडीह	0.312	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	घुनघुट्टा परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अंबिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 5 नवम्बर 2004

रा. प्र. क्र. 1/अ-82/04-05—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	परसापारा	1.268	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर, सरगुजा.	कृष्णपुर जलाशय के शाखा नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अगस्त 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1268.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	जमड़ी प. ह. नं. 23	0.142	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	जमड़ी माइनर नं. 2 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अगस्त 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1269.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	चोरिया प. ह. नं. 13	0.125	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चोरिया सब माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अगस्त 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1270.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	लखाली प. ह. नं. 14	0.036	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	लखाली माइनर नं. 12 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 16 अगस्त 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1271.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चाम्पा	झर्रा प. ह. नं. 12	0.126	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	लखाली डि. व्यू. के माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 सितम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1272.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	चिस्दा प. ह. नं. 36	0.016	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 2, चाम्पा.	चिस्दा माइनर नं. 1 नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 27 दिसम्बर 2004

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1281.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य-शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	दहिदा प. ह. नं. 4	0.255	कार्यपालन यंत्री, हसदेव नहर जल प्रबंध संभाग, जांजगीर.	बरबसपुर शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण-बस्तर दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक5073/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम
- (ग) नगर/ग्राम-मर्रीगुड़ा, प.ह.नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.22 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
41	0.37
47/3	0.64
53	0.12
54	0.25
39	0.20
38/1	0.27
38/2	0.16
34, 35/2, 35/3, 35/4, 36	0.64
33	0.61
59	0.15
57	0.40
56, 69/2 / 1	0.02
56, 69/2 / 2	0.03
56, 69/2 / 3	0.04
56, 69/2 / 4	0.05

(1)	(2)
56, 69/2 / 5	0.06
56, 69/2 / 6	0.04
56, 69/2 / 7	0.07
37	0.10
योग 19	4.22

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन. एच.-16 सड़क चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक 5077/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम
- (ग) नगर/ग्राम-गोटाईगुड़ा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.682 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
31	0.069
32/1	0.077
43/5, 44	0.168
43/2, 43/3	0.081
46/3	0.012
46/4	0.008
46/5	0.020
47, 48	0.138
54	0.109
52/1	60.55 वर्गमीटर (पी.एच.ई.) शासकीय
52/1	67.50 वर्गमीटर (वन विभाग) शासकीय
52/1	41.25 वर्गमीटर (वन विभाग) शासकीय
योग	0.682 हे. 169.30 वर्ग मीटर

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन. एच.-16 सड़क चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक 5079/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपटनम
- (ग) नगर/ग्राम-मोदकपाल, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.07 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
18/2	0.23
54/4 ख	0.02
18/3	0.12
61/3	0.03

	(1)	(2)
	152/4	0.24
	18/4	0.13
	155/7	0.11
	25	0.15
	62/1 क, 62/2 ख	0.15
	38	0.03
	53	0.07
	54/2	0.02
	61/1 ख	0.03
	61/2	0.03
	62/1 ख, 62/2 ख	0.01
	63	0.05
	64	0.10
	151/5	0.02
	147	0.10
	149/2	0.06
	151/1	0.09
	151/3	0.01
	155/8	0.09
	151/4	0.01
	155/10	0.09
	156/2	0.08
योग	26	2.07

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन. एच.-16 सड़क चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक 5081/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-भोपालपटनम

(ग) नगर/ग्राम-केशाईगुड़ा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.80 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	15/11	0.40
	15/12	0.22
	15/21	0.30
	15/23	0.10
	15/27	0.60
	21	0.40
	23/2, 23/3, 26, 27/2, 27/3	0.71
	25	0.05
	27/10	0.50
	29/1	0.50
	29/2	0.30
	29/3	0.20
	31/1	0.40
	31/3	0.10
	33	0.03
	34	0.10
	36	0.03
	37	0.02
	43/11	0.16
	43/13	0.14
	43/14	0.11
	43/16	0.41
योग	22	5.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन. एच.-16 सड़क चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 6 अगस्त 2004

क्रमांक 5099/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-भोपालपटनम

(ग) नगर/ग्राम-पे. बासाबुड़ा, प. ह. नं. 10

(घ) लगभग क्षेत्रफल-8.46 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
31/4	0.09
31/6	0.38
33/11	1.00
33/12	0.55
46, 139	0.34
46/6 ख	1.22
46/19	0.81
46/20	0.65
46/34	0.40
46/35	0.38
46/36	0.42
46/37	0.47
125/2	0.02
125/4	0.48
126	0.12
130/2	0.37
130/4	0.63
138, 140	0.05
योग 18	8.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन. एच.-16 सड़क चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 7 अगस्त 2004

क्रमांक 6003/भू-अर्जन/अ-82.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

(ख) तहसील-भोपालपटनम

(ग) नगर/ग्राम-गिलगिच्चा, प. ह. नं. 24

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.42 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
4/17	0.58
18/5	0.32
4/22	0.32
4/24	0.20
18/7	0.22
18/8	0.16
18/9	0.65
27/3	0.12
29/2	0.07
31	0.01
33/3	0.41
47/5	0.54
83	0.01
84/1 क	0.20
84/2 ख	0.42
84/3 ग	0.44
84/4 घ	0.46
90/5	0.02
92/2	0.08
93/1	0.08
96/1	0.05
98/1	0.02
111	1.36
योग 23	6.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-एन. एच.-16 सड़क चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 27 जुलाई 2004

क्रमांक 293/भू-अर्जन/अ.वि.अ./अ/82/सन् 2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-मचेवा, प.ह.नं. 143
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4	0.11
5	0.02
13	0.03
12	0.01
34	0.03
11	0.02
8	0.03
10	0.04
35	0.06
53	0.02
52	0.02
54	0.03
51	0.03
61	0.01
62	0.05
योग 15	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खरोरा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत मचेवा माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 27 जुलाई 2004

क्रमांक 294/भू-अर्जन/अ.वि.अ./1-अ/82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 (1) के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुन्द
- (ख) तहसील-महासमुन्द
- (ग) नगर/ग्राम-खरोरा, प.ह.नं. 140
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.92 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
522	0.02
523	0.02
505	0.02
507	0.06
504	0.04
506	0.02
512	0.05
508	0.05
509	0.05
511	0.02
450	0.04
470/1	0.18
471	0.02
452	0.05
454	0.02
456	0.03
451	0.09
528	0.14
योग 18	0.92

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खरोरा उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत खरोरा माइनर क्र. 2 का निर्माण कार्य.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 4 नवम्बर 2004

क्रमांक 9/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984 संशोधित) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-नगवाही
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.278 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
289/2	0.065
400	0.008
238	0.061
41/4	0.154
237	0.040
283/1	0.036
398/3	0.109
398/6	0.069
305	0.166
306	0.040
289/1	0.073
396/2	0.113
304/1	0.024
393	0.073
249	0.142
447/1	0.061
54/1	0.049
282/1	0.008
397	0.121
302	0.028
53/1	0.324
319	0.089
441	0.065
442	0.024
41/5	0.085
251/1	0.166
298/2	0.024
438	0.004
439	0.134
398/1	0.041
398/5	0.105
317	0.186
42	0.028
280	0.057
285	0.057
443/2, 444/2, 445/3	0.243
247	0.049
296	0.101
297	0.053
398/4	0.061
284	0.129
316	0.008
299	0.024
38	0.040
396/1	0.069
444/1	0.324
395	0.057
394/1	0.069
446	0.057
440	0.089
288	0.077
योग 49	4.278

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अपरखुज्जी जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 अक्टूबर 2004

क्रमांक 1280/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-पामगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-मेंहदी, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	488/1	0.073
	489/1	0.089
योग	2	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-मेंहदी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 23 अक्टूबर 2004

क्रमांक 511/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-आमनडुला, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.057 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	67/3	0.049
	91/2	0.008
योग		0.057

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-करीगांव माइनर

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 18 नवम्बर 2004

प्र. क्रमांक 30/अ-82/03-04/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-बुढनपुर, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.322 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
208/2	0.028

(1)	(2)
209/1	0.093
209/2	0.139
213	0.062
योग	0.322

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-स्केप चेनल नहर निर्माण हेतु (पूरक).

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसेदव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 जनवरी 2005

क्रमांक 1282/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-चाम्पा
- (ग) नगर/ग्राम-सिवनी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1610/67	0.259
योग 1	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसंके लिये आवश्यकता है-फरसवानी उप-शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/1अ/82/वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-औरांसी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.032 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
142	0.032
योग	0.032

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खोरसी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2004

क्रमांक क/भू-अर्जन/2अ/82/वर्ष 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-पलारी

(ग) नगर/ग्राम-टीला, प. ह. नं. 4

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.283 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	403/1	0.085
	403/2	0.178
	403/4	0.020
योग	3	0.283

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-खोरसी नाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2004

क्रमांक/क/भू-अर्जन/3/अ-82/03-04/21/04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बस्तर

(ख) तहसील-जगदलपुर

(ग) नगर/ग्राम-बम्हनी, प. ह. नं. 52

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.82 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	262/400	0.21
	263	0.20
	265	0.15
	266	0.36
	267	0.90
योग	5	1.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमागुडा रेल्वे स्टेशन से एन.एम.डी.सी. आयरन एण्ड स्टील प्लांट नगर तक रेल्वे लाईन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा)/भू-अर्जन अधिकारी जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 6/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सुटूपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.817 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	254	0.081
	255	0.235
	253	0.121
	254	0.291
	256	0.089
योग	5	0.817

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोतमरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.306 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	369/2	0.031
	370	0.032
	373/1	0.043
	374/6	0.040
	394, 379/2	0.088
	395	0.022
	400/2	0.012
	399	0.024
	425/2	0.008
	393	0.050
	390/1	0.089
	390/3	0.069
	390/2	0.089
	390/4	0.069
	391	0.049
	389	0.186
	385	0.049
	388	0.113
	384/1	0.057
	384/2	0.057
	387	0.105
	386	0.057
	383	0.206
	382	0.073
	381/1	0.373
	381/2	0.097
	381/3	0.097
	380/1	0.295
	496	0.202
	494/3	0.186
	494/5	0.008
	494/2	0.202
	494/6	0.065
	494/7	0.127
	508/2	0.016
	509	0.020
योग	37	3.306

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोतमरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धनुहरडेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.109 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	125/2	0.101
	128	0.312
	129/2	0.186
	130	0.182
	129/1	0.024
	132/2	0.073
	132/4	0.037
	134	0.036
	416/1	0.090
योग	11	1.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 23 नवम्बर 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-छोटे अतरमुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.619 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	38/1	0.145
	38/2	0.239
	39	0.089
	38/3	0.146
योग	4	0.619

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-छ. ग. गृह निर्माण मंडल के आवासीय कालोनी निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2005

प्र. क्र.-2/अ-82/04-05/भू-अर्जन/1234.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-पहन्दा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-26.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1/1	0.40
1/2	0.65
1/3	3.15
1/4	2.77
6	0.03
155	0.10
1/5	0.17
1/6	0.18
2	0.87
3/1	0.19
3/2	0.64
4/1	0.90
4/2	0.06
12	0.38
5	2.05
7	0.12
8	0.62
9	0.62
10	0.56
11	0.51
13	0.50
14	0.08
15/1 क	1.93
15/1 ख	0.17
15/1 ग	0.08
16	0.04
15/2	0.46
15/3	0.14
17	0.07
18	0.09
19	0.23
20	0.11
21	0.45
22	0.01
25	1.76
23	0.22
24	1.30
26/1	0.08
26/2	0.01
27/1	0.17
149	0.05
148/1	0.18
148/3	0.06
150	0.09
151	1.13
152	0.14
172/3	0.01
153	0.63
154/1	0.42
154/2	0.42
156/1	0.20
169/1	0.05
157	0.05
158	0.10
योग	26.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापना करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2005

प्र. क्र.-1/अ-82/04-05/भू-अर्जन/1236.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-पताढ़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-121.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
261/1	0.30
262/1	0.62
263/2	0.005
266	0.045
262/3	0.06
262/4	0.01
274/1	0.04
262/5	0.66
263/1	0.10
264	0.45
265/4	0.66
265/1	0.56
265/2	0.18
265/3	0.18
265/5	0.48
267	0.13
268	0.36
269	0.97
270/1	0.06
270/2	0.06
270/3	0.03
270/4	0.10
270/5	0.03
271	0.13
272	0.19
273/1	0.12
273/2	0.09
273/3	0.15
273/4	0.34
273/5	0.21
273/6	0.51
273/7	0.10
275/1	0.25
275/2	0.35
275/6	0.05
282/10	0.03
282/11	0.02
282/3	0.05
283/1	0.60
283/2	0.83
283/3	0.08
283/4	1.14
284	0.01
283/5	0.30
283/6	0.20
283/7	0.18
285/1	0.86
285/2	0.82
286	0.10
287/1	0.38
287/2	0.76
287/3	0.32
287/4	0.18
287/5	0.77
287/6	0.07
287/7	0.15
287/8	0.18
288/1 क	0.24
288/1 ख	0.07
288/1 ग	0.37
288/2	0.30
289	0.66
290/1	1.04
290/2	1.04
291	0.56
292	0.81

(1)	(2)	(1)	(2)
293/1	0.15	313/1	0.22
294/1	0.35	313/2	0.22
293/2	0.04	314	0.50
294/2	0.35	315	1.18
293/3	0.60	316/1	0.15
293/4	0.18	316/2	0.15
293/5	0.20	317/1	0.28
293/6	0.45	317/2	0.21
295/1	0.42	318	0.50
295/2	0.08	319/1	0.46
296	0.15	319/2	0.58
297	0.30	320/1	0.70
298	0.10	320/2	0.15
299	0.10	320/3	0.10
300	0.28	321	0.49
301	0.04	322	0.03
303	0.22	323	0.10
302/1	0.11	324/1	0.28
302/2	0.11	324/2	0.10
305/1	0.50	324/3	0.14
305/2	0.42	324/4	0.07
305/3	0.36	324/5	0.08
305/4	0.90	325/1	0.14
305/5	1.40	325/2	0.10
305/6	0.26	326/1	0.48
305/7	0.48	326/2	0.48
305/8	0.20	327/1	0.35
306	0.88	328/1	0.35
307	0.69	327/2	0.12
308	0.30	328/3	0.26
309/1	2.01	327/3	0.35
309/2	1.62	328/6	0.35
330/4	0.48	328/2	0.32
309/3	0.82	328/4	0.30
309/4	0.52	329/1	0.58
309/5	1.00	328/5	0.42
310/1	0.50	329/2	0.30
310/2	0.46	329/3	0.12
311/1	0.32	330/2	1.29
311/2	0.44	330/1	0.44
312/1	0.08	330/3	1.78
312/2	0.46	330/5	0.16
312/3	0.18	330/6	0.88

(1)	(2)	(1)	(2)
330/7	0.80	345/2	0.02
330/8	0.16	345/3	0.02
330/9	0.26	346	0.02
330/10	0.50	364/1	1.04
330/11	0.10	364/2	0.36
330/12	0.45	366	0.09
331/1	0.25	367	0.40
331/2	1.00	364/3	0.09
332/3	0.08	371/1	3.90
331/3	0.43	371/2	0.14
331/4	0.73	372	1.00
332/2	0.04	373	0.29
331/5	0.20	374	0.35
331/6	0.12	391/1	1.26
331/7	0.76	391/2	0.16
331/8	0.47	391/3	1.28
332/1	0.26	292/1	0.50
333/1	0.48	392/2	1.00
333/2	0.06	392/3	0.37
339/2	0.30	392/4	0.42
333/3	0.48	392/5	0.60
334	0.18	392/6	0.06
335/1	0.82	392/7	0.86
335/2	0.57	392/8	0.35
335/3	0.30	393/1	0.64
335/4	0.13	393/2	0.14
335/5	0.78	394/1	0.44
336	0.12	394/2	0.37
337/1	0.75	395	0.44
337/2	0.85	396/1	0.63
338/1 क	0.50	396/2	0.04
338/2 क	0.20	396/3	0.44
338/2 ख	0.22	397	1.05
338/2 ग	1.16	398	0.29
338/2 घ	0.20	375	0.80
339/1	0.10	376	1.23
340	0.79	377	0.32
341	0.40	378/1	0.40
342	0.22	379/2	0.07
343	0.50	378/3	0.57
344/2	0.24	378/2	0.32
344/1	0.02	386	0.72
345/1	0.02	379/1	0.23

(1)	(2)
380/1	0.04
384	0.16
380/2	0.25
380/3	0.84
381	0.14
382	0.14
383/1	0.40
383/2	0.22
385/1	1.00
385/2	1.43
389	0.57
390	0.57
399	0.74
400	0.50
401/1	0.67
401/2	0.56
402	1.58
403	0.72
404	0.87
405/1	0.68
405/2	1.08
405/3	0.24
409/2	0.48
405/4	0.77
406/1	0.12
406/2	0.08
406/3	0.08
407	0.16
408	0.24
409/1	0.36
410/1	0.50
410/2	0.34
411/1	1.30
411/2	0.12
411/3	0.04
412	0.58
414/1 क	0.86
411/4	0.84
413	0.76
414/2	0.08
414/1 ख	0.26
414/3	0.54
415/1	0.25
419	0.65
421/1	0.15
421/3	0.46
422/2	0.17
योग	121.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापना करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 3 फरवरी 2005

प्र. क्र.-3/अ-82/04-05/भू-अर्जन/1238.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-कोरबा
- (ग) नगर/ग्राम-खोड्डल
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-188.29 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
55/1 क	0.19
55/1 ग	0.01
61/9	0.05
55/1 ख	0.01
55/2 ख	0.02
56/2	0.10
55/1 ग/1	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
56/1	0.03	61/25	0.56
55/1 ग/2	0.03	61/26	0.34
56/4	0.03	61/50	0.34
55/1 ग/3	0.02	61/51	0.34
56/5	0.02	61/52	0.34
55/1 घ/1	0.08	61/53	0.34
55/2 क/1	0.03	61/27	1.00
61/30	0.005	61/28	0.24
55/1 घ/2	0.08	67/6	1.31
55/2 क/2	0.03	61/30	0.08
61/54	0.005	67/4	0.47
55/1 घ/3	0.07	61/38	0.21
55/2 क/3	0.04	64	0.18
61/55	0.01	65/1	2.15
57/1	0.12	65/4	2.15
58/1	0.15	65/5	2.16
59/3	0.03	65/2	0.20
61/6	0.10	65/3	0.35
57/2	0.05	65/6	0.35
61/17	0.01	65/7	0.30
57/3	0.06	66/1	0.05
59/6	0.005	66/2	0.28
61/32	0.005	66/3	0.18
57/5	0.02	66/13	0.17
58/2	0.01	66/4	0.65
59/7	0.15	66/5	0.10
61/11	0.10	66/14	0.10
61/15	0.18	66/15	0.10
61/20	0.16	66/6	0.13
69/2	0.14	66/7	0.14
61/21	0.08	66/8	0.17
69/1	0.05	66/9	1.15
61/46	0.08	66/10	0.55
69/13	0.05	66/11	0.09
61/47	0.08	66/16	0.09
69/14	0.05	66/17	0.10
61/48	0.08	66/12	0.85
69/15	0.05	67/1	0.20
61/49	0.08	67/2	0.67
69/16	0.04	67/3	0.58
61/22	0.06	67/5	0.34
61/23	0.87	67/7	0.68
61/24	0.90	67/8	0.48

(1)	(2)	(1)	(2)
67/9	1.84	73/3	0.35
68	0.84	73/14	0.20
69/3	0.46	73/5	0.46
69/11	0.17	73/6	0.28
69/5	0.30	73/7	0.50
69/6	0.02	73/8	0.15
69/17	0.02	73/9	0.12
69/18	0.02	73/10	0.50
69/19	0.02	73/11	0.42
69/20	0.02	74	1.05
69/7	0.20	76/3	0.10
69/21	0.20	76/6	0.07
69/22	0.20	76/7	0.18
69/8	0.03	76/20	0.08
69/23	0.03	312/16	0.13
69/24	0.03	76/17	0.20
69/25	0.03	76/18	0.16
69/26	0.03	76/19	0.12
70/1	0.50	206	0.12
70/2	0.10	207	0.08
315/1	0.30	208/1	0.65
70/3	1.25	208/2	0.02
70/4	1.13	208/3	0.80
70/5	0.11	208/4	0.32
70/13	0.44	208/5	0.30
70/6	0.23	211/1 ग	0.61
70/9	0.13	208/6	0.25
319/4	0.10	208/7	0.65
70/10	0.25	211/1 घ	0.01
70/11	0.14	209/2	0.20
319/10	0.04	209/7	0.07
70/12	0.25	209/9	0.20
70/7	0.39	209/11	0.20
70/8	0.40	209/13	0.30
71/1	0.10	210/1	0.76
71/3	0.05	210/2	0.27
71/4	0.10	211/1 क	0.60
71/2	0.29	211/1 ख	0.82
72/1	0.54	211/1 ङ	0.22
72/2	0.92	211/1 च	0.30
72/3	1.42	211/2 क	0.25
72/4	0.64	211/2 ख	0.25
72/5	0.81	212/1	1.50
73/2	0.78		

(1)	(2)	(1)	(2)
212/2	1.51	222/10	0.04
213	0.30	222/11	0.10
215	0.18	222/12	0.09
216	1.34	222/13	0.10
217/1	0.14	244/1	0.06
217/9	0.15	310/1	0.12
217/10	0.15	344/2	0.48
217/2	0.60	310/2	0.12
217/3	0.71	252/2	0.03
217/11	0.33	253/1	0.41
217/12	0.33	253/2	0.20
217/13	0.33	253/3	0.38
217/4	0.40	254/1	0.45
217/5	0.25	254/2	0.22
217/9	0.65	254/3	0.29
217/10	0.40	254/4	0.40
217/6	0.52	254/5	0.36
217/14	0.52	254/6	0.46
217/15	0.52	254/7	0.36
217/7	0.25	254/8	0.30
217/8	0.55	254/9	0.20
218/1	0.50	254/10	0.06
218/2	0.65	254/11	0.32
218/3	0.50	255/2	0.08
218/4	0.50	255/3	0.40
218/5	0.50	255/4	0.50
218/6	0.52	255/17	0.50
218/7	0.15	255/5	0.85
218/8	0.15	255/6	0.55
218/9	0.15	255/7	0.17
218/10	0.15	255/20	0.48
219/1	3.40	255/8	0.64
219/2	0.20	255/18	0.64
219/3	0.315	255/19	0.63
220/1	1.37	255/9	0.24
222/1	1.28	255/10	0.54
222/2	0.68	255/21	0.06
222/3	0.03	255/11	0.96
222/4	0.09	255/22	0.14
222/5	1.28	255/12	0.88
222/6	1.28	255/23	0.04
222/7	1.20	255/13	0.10
222/8	0.03	255/14	1.04
222/9	0.04	256	4.07
		257/1	0.36
		257/2	0.11
		257/3	0.49

(1)	(2)
257/4	0.32
257/5	0.11
257/6	0.11
258	1.18
259/1	0.04
259/2	0.22
260	0.13
261/1	0.87
262/3	0.05
261/2	0.55
261/3	0.40
261/4	0.05
261/5	0.07
262/1	0.07
263	0.22
264	0.52
265	0.30
266/7	0.44
267/1	0.05
266/1	0.07
266/2	0.44
266/3	0.50
266/4	0.50
276/1	0.12
266/5	0.25
266/6	0.10
266/9	0.10
266/8	0.14
266/10	0.14
267/2	0.56
267/3	0.03
267/4	0.03
267/5	0.03
268	0.10
270/2	0.05
269	0.41
270/1	0.45
270/3	0.42
271	0.37
273/3	0.04
273/4	0.06
272	0.33
273/2	0.09
274	0.50
275	0.16
276/2	0.13
277/1	1.00
277/2	0.40
277/3	1.00
277/4	0.80
277/5	0.48
277/6	0.38
277/7	0.30
277/8	0.20
277/9	0.70
277/10	0.32
278/1	0.48
278/2	0.40
278/3	0.40
282	2.02
283	0.14
284/1	0.62
284/2	0.28
284/3	0.42
284/4	1.10
284/5	1.22
284/6	0.42
284/7	0.67
284/8	0.50
284/9	0.07
285	0.55
286	0.06
287/1	1.00
287/2	0.52
287/3	0.29
288/1	0.14
288/3	0.08
288/2	0.06
289/1	1.38
289/2	0.10
290/1	0.06
290/2	0.11
290/3	0.34
291/1	0.58
301/2	0.06
291/2	0.25
291/3	0.40
291/4	0.47

(1)	(2)
291/5	0.35
291/6	0.80
291/7	0.08
291/8	0.60
291/9	0.54
292/1	0.10
292/5	0.10
292/6	0.10
292/7	0.10
292/8	0.10
292/2	0.16
293/3	0.10
293/5	0.30
292/4	0.50
293/1	0.46
292/2	0.04
293/7	0.04
293/8	0.04
293/9	0.05
393/10	0.05
293/3	0.37
293/4	0.22
293/5	0.47
293/6	0.46
294/1	0.40
294/2	0.42
295/1	0.46
295/2	0.36
295/3	0.20
296/1	0.42
296/2	0.43
296/3	0.32
296/4	0.25
297/1	0.25
297/2	0.26
298/1	0.16
298/2	0.20
299/1	0.16
299/16	0.37
299/2	0.44
299/3	0.36
299/4	0.10
299/15	1.00
299/5	0.34
299/6	0.06
299/7	0.20
299/8	0.36
299/9	0.36
299/10	0.50
299/11	0.44
299/12	0.20
299/13	0.34
299/14	0.34
300/1	0.48
300/2	0.40
301/1	2.23
303/3	0.08
302/1	0.53
302/2	0.01
303/6	0.07
303/4	0.65
309/13	0.10
309/14	0.23
309/16	0.04
309/17	0.03
304/1	0.47
304/2	0.47
305	0.56
306	1.22
307	0.14
308/1	0.28
308/2	0.27
308/3	0.28
308/4	0.27
309/1	0.88
309/15	0.38
309/2	0.03
309/3	0.30
309/4	0.20
309/6	0.52
309/7	0.20
309/21	0.20
309/8	0.07
309/9	0.20
309/10	0.10
309/11	1.00

(1)	(2)
309/18	0.04
309/19	0.23
309/20	0.36
310/4	1.14
310/5	0.10
310/6	0.60
310/7	0.18
311/1	0.27
311/4	0.20
311/5	0.10
312/14	0.13
311/6	0.10
312/15	0.14
312/17	0.03
312/4	0.06
312/5	0.26
312/6	0.10
312/7	0.38
312/8	0.05
312/9	0.16
312/10	0.18
312/11	0.06
312/12	0.15
312/13	0.09
313	0.12
314	4.50
315/2	0.20
315/3	0.62
315/4	0.74
315/5	0.40
315/6	0.50
315/7	0.40
316	1.41
317	0.55
318/1	0.34
318/2	0.04
319/1	0.81
319/11	0.56
319/12	0.26
319/2	0.25
319/3	0.72
319/13	0.81
319/14	0.03
319/15	0.13
319/9	0.22
319/5	0.06
321/2	0.24
319/6	0.33
319/7	0.25
319/8	0.28
319/16	0.42
320/1	1.45
320/2	0.08
321/1	0.13
321/3	0.15
325/1	1.13
325/2	0.06
326	0.15
328/2	0.35
327	0.24
328/1	0.14
328/3	0.42
331/5	0.05
331/6	0.20
331/7	0.23
331/8	0.18
योग	188.29

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापना करने हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.